



समाहरणालय, गढ़वा

(महात्मा गाँधी नरेगा कोषांग)

विज्ञापन

- ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक-4729 दिनांक-04.06.2007, संकल्प ज्ञापांक-6440 दिनांक-17.07.2012 नियुक्ति सेवा शर्त कर्तव्य (संशोधन) नियमावली, 2012 एवं ज्ञापांक-848 दिनांक-21.03.2017 के आलोक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहायक (सहायक अभियन्ता के समकक्ष) के 19 पद, लेखा सहायक के 16 पद एवं कम्प्यूटर सहायक के 14 रिक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। रिक्त पदों की विवरणी निम्नवत है –

| पदनाम | अनारक्षित | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | कुल पद |
|--------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------|-------------|--------|
| तकनीकी सहायक (सहायक अभियन्ता के समकक्ष) | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 19 |
| लेखा सहायक | 09 | 02 | 04 | 01 | 0 | 16 |
| कम्प्यूटर सहायक | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 |

- * उपरोक्त कोटिवार रिक्तियों की संख्या भविष्य में घट-बढ़ सकती है।
- तकनीकी सहायक (सहायक अभियन्ता के समकक्ष), लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक के पद हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करने के लिए आवश्यक योग्यताधारी/ अर्हताधारी व्यक्तियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।
 - शैक्षणिक योग्यता –**

- 1) तकनीकी सहायक (सहायक अभियन्ता के समकक्ष) के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता –**

- (i) **अनिवार्य योग्यता** – सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0ई0 या बी0टेक अनिवार्य योग्यता होगी।
- (ii) **अतिरिक्त योग्यता –**
 - (a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम0 टेक0 तथा पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईस अतिरिक्त योग्यता होगी।
 - (b) एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

- 2) लेखा सहायक के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता –**

- (i) **अनिवार्य योग्यता** – सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0कॉम0 ऑनर्स या सामान्य बी0कॉम0 च्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी0कॉम0 उत्तीर्ण, जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परंतु जिन्होंने तत्पश्चात् एम0कॉम0 किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे परंतु बी0कॉम0 के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाकर उसे बी0कॉम0 आनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

- (ii) **अतिरिक्त योग्यता –**

- a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0कॉम0, बी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 / पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0एससी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।
- b) एम0सी0ए0 / एम0एससी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े

जाएंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए० के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।

3) कम्प्यूटर सहायक के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता –

(i) अनिवार्य योग्यता –

a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे— 1. बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स, 2. बी०एस०सी० कम्प्यूटर सामान्य, 3. बी०सी०ए० तथा 4. सामान्य स्नातक उत्तीर्णता के पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० उत्तीर्ण।

(b) बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०ए०सी० कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुये उसे बी०एस०सी० कम्प्यूटर आनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो तो सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटाकर बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता –

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०सी०ए० / पी०जी०डी०सी०ए० / एम०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।

(b) एम०सी०ए० / एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यता समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए० / सामान्य बी०ए०स०सी० कम्प्यूटर के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।

4. उपर्युक्त वर्णित सभी शैक्षणिक योग्यताएँ जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो, ही मान्य होंगे।

5. **आयु सीमा** – उपर्युक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा भर्ती के समय राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी। आयु सीमा की गणना दिनांक—01.01.2019 के आधार पर की जायेगी।

6. **राष्ट्रीयता** – आवेदक भारत का नागरिक हो।

7. **आरक्षण** – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर गढ़वा जिला के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायगा।

8. **परिलक्षि** – तकनीकी सहायक (सहायक अभियन्ता के समकक्ष) के लिए 19,234/- रुपये प्रतिमाह, लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक के लिए 10,000/- रुपये प्रतिमाह।

9. स्थानीयता नीति –

a) तकनीकी सहायक (सहायक अभियन्ता के समकक्ष) के लिए स्थानीयता नीति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक-3198 दिनांक—18.04.2016 के द्वारा प्रवृत्त आदेश लागू है। आवेदन के साथ यह शपथ—पत्र देना होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि उनका शपथ—पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

b) लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक के लिए स्थानीयता के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक-3854

दिनांक—01.06.2018 मान्य है। जिसमें मात्र गढ़वा जिला के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना जायेगा।

10. इन पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसी नियुक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगी।
11. उपर्युक्त पदों पर शैक्षणिक योग्यता के घटते हुए क्रम में आवेदकों की प्रारम्भिक मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं आवश्यकतानुसार दक्षता परीक्षा ली जा सकती है।
12. प्रारम्भिक चरण में इनकी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा समय—समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उन्हें सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।
13. संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम 11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
14. तकनीकी सहायक (सहायक अभियन्ता के समकक्ष), लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक के पदों पर चयन गढ़वा जिला के लिए किया जायेगा, यह पद जिला स्तरीय होगा इन तीनों पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन संबंधित जिला के किसी भी प्रखण्ड में करने के लिए उपायुक्त, गढ़वा सक्षम होंगे एवं उनका निर्णय अंतिम होगा।
15. यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलक्षि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलक्षि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परंतु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
16. आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण—पत्र, अंक पत्र, जाति, निवास एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
17. जिला में उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति हेतु तैयार प्रारम्भिक मेधा सूची से अभ्यर्थियों के प्रमाण—पत्र का सत्यापन इत्यादि के लिए गठित जिलास्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।
18. आवेदन पत्र दिनांक 29.06.2019 के अपराह्न 5:00 बजे तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गढ़वा में केवल निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जायेगा। अन्य माध्यम से समर्पित आवेदन एवं समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन हेतु लिफाफा के उपर आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें।

ह0/-

उपायुक्त,
गढ़वा

ज्ञापांक 364 / मनरेगा, दिनांक 13/06/19

प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, एन.आई.सी., गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त विज्ञापन को गढ़वा जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

12/06/19
उपायुक्त,
गढ़वा

आवेदन पत्र का प्रपत्र (प्रारूप)

1. आवेदित पद का नाम
2. अभ्यर्थी का नाम
3. पिता/पति का नाम
4. स्थायी पता
5. वर्तमान पता
6. मोबाइल नम्बर
7. जन्म तिथि
7. लिंग (पुरुष / महिला)
8. कोटि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति (अनुसूची-1 / अनुसूची-2) / सामान्य (प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
9. स्थानीयता (प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
10. अनिवार्य योग्यता –

हाल का
पासपोर्ट
साईज फोटो

| क्रम | परीक्षा का नाम | विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम | पूर्णांक | प्राप्तांक | प्राप्तांक % |
|------|----------------|--------------------------------|----------|------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

11. अतिरिक्त योग्यता –

| क्रम | परीक्षा का नाम | विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम | पूर्णांक | प्राप्तांक | प्राप्तांक % |
|------|----------------|--------------------------------|----------|------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है किसी भी परिस्थिति में मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरी पात्रता रद्द की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर